कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 13803/2019 ओमप्रकाश मीणा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में रा.आ.उ.मा. विद्यालय तहसील चान्दना, जिला जालोर में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1 के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी की दो छोटी बच्चियां है तथा पत्नी घर से दूर रा.उ.प्रा.वि. जेलवा, जैतीवास तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापिका लेवल–1 के पद पर कार्यरत है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रा.आ.उ.मा.वि. झाक/रा.आ.उ.मा.वि. ओलवी तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर में तृतीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पद पर स्थानान्तरण करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम–1971 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों वर्गवार/जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गवार ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरूद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल पडेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में कार्यरत होने पर दोनों को एक ही स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर जालोर जिले से जोधपुर जिले में स्थानान्तरण की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान में तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु शासन द्वारा प्रदत्त दिशा–निर्देशों में राजकीय सेवा में कार्यरत पति–पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा–निर्देश अंकित नहीं है।

विद्यालय में अध्ययनरत छात्र राज्य के भावी नागरिक है, अतः उनके हितों तथा सम्पूर्ण राज्य के समग्र विकास का ध्यान रखते हुए शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में पदस्थापन राज्य हित में है। शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में पदस्थापित सभी कार्मिक पिछड़े जिलों से अन्य जिलों में पदस्थापन की मांग करेंगें तो पिछड़े जिलों के विद्यालयों के पद कभी नहीं भरे जा सकेंगें। अतः राज्य के समग्र विकास एवं छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए जालोर जिले से जोधपुर जिले में पदस्थापन करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व छात्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर अन्तरजिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं औचित्यपूर्ण नहीं है।

अतः याचिकार्थी द्वारा जालोर जिले से जोधपुर जिले में स्थानान्तरण करने हेतु की जा रही मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन खारिज किया जाता है।

(हिमांशु गुप्ता) 23/12
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा./संस्था/एफ–2/को.के./13006/2019 दिनांकः– 23/12/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/28814/एफ/19 के क्रम में।
2. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
4. याचिकार्थी श्री ओमप्रकाश मीणा श्री राम चन्द्र मीणा, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल–1, रा.आ.उ.मा.विद्यालय तहसील चान्दना, जिला जालोर (रजिस्टर्ड)
5. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

कार्यालय पता– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर दूरभाष 0151–2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in